3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेम सिंह जोधा बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 07/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.23	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2022 में उसके द्वारा (1) राजस्व गांव शिकारपुरा के संवत 2078 में कृषि आदान अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत शपथ पत्रों की छायाप्रति इन काश्तकारों (1) राजूदास पुत्र अचलदास (2) मदनदास पुत्र अचलदास (3) माडू पत्नी अचलदास (4) सोहनदास पुत्र भैरूदास (5) भैरूदास पुत्र गणेशदास (6) रमेश गिरी पुत्र बाबू गिरी से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	